संख्या:25/2020/770 /सत्रह-म-2020-6-9 (9)/14 टी0सी0-।

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक: 22 जुलाई ,2020

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मद में अवशेष/पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष कुल रू0 134.2185 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 768 /नि0शा0/2020-21 दिनांक 30 जून,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 118.32 लाख में से अवशेष/पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि रू0 246.60 लाख में से धनराशि रू0 134.2185 लाख (केन्द्रांश रू0 80.5311 लाख+ राज्यांश रू0 53.6874 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113/48/2017-एफवाई,-।। दिनांक 09.12.2019 द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 118.32 लाख का केन्द्रांश प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मद हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत सम्पूर्ण वांछित बजट व्यवस्था न होने के कारण मात्र कुल रू0 71.3815 लाख (केन्द्रांश रू0 42.8289 लाख+राज्यांश रू0 28.5526 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी,जिसके सापेक्ष दिनांक 31.03.2020 तक मात्र रू0 62.9815 लाख (केन्द्रांश रू0 37.7889 लाख+ राज्यांश रू0 25.1926 लाख) की धनराशि ही व्यय हो सकी तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गयी। इस प्रकार रू0 80.5311लाख का केन्द्रांश अप्रयुक्त /अवशेष रहा।

3- भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या- जे/ 18001/1/2017 एफवाई दिनांक 23.04.2020 द्वारा वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्र्गत निर्गत केन्द्रांश को वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मद में रू0 246.60 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मद में अवशेष/पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष केन्द्रांश रू0 80.5311 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 53.6874 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 134.2185 लाख (रू0 एक करोड चौतीस लाख इक्कीस हजार आठ सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 03 परियोजनाओं/मदों हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	श्रेणी/वित्त पोषण :के0)रा:0ला(0	परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान	वर्ष 2019-20 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष व्यय धनराशि	निर्गत होने वाली वित्तीय स्वीकृति की धनराशि			अभ्युक्ति
							केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नये तालाबों का निर्माण	एस 0सी0 36:24:40	280.00	168.00	43.7815	43.7815	74.5311	49.6874	124.2185	निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या -768नि0शा/ 2020--21 दिनांक 30 जून,2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्नक/ जनपदवार विवरण के अनुसार।
2	नये तालाबों के निर्माण पर निवेश	एस 0सी0 36:24:40	6000.	36.00	0.00	0.00	4.5600	3.0400	7.60	
3	स्माल फीड मिल	एस 0सी0 36:24:40	50.00	30.00	24.00	15.60	1.44	0.96	2.40	
	कुल योग-						**80.5311**	**53.6874**	**134.2185**	

(रू0 एक करोड चौतींस लाख इक्कीस हजार आठ सौ पचास मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या- संख्या- 20/2016/2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर,2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या-2/2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9 (333)/16 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग-निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर डाकघर /बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, पत्र संख्या-4/ 2020/ बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11.04.2020,पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र संख्या- बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 में दिये दिशा-निर्देशों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017- एफवाई दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना(के036/रा024/ला040-के0+रा0) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 550/ ई-1-दस-2020 , दिनांक 20 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-25/2020/770(1)/ सत्रह-म-2020 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।